

UPUN0-040338832019



न्यायालय सिविल जज सी०डि० (एफ०टी०सी०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

सरकार बनाम खान भाई उर्फ शकील खान आदि।

धारा- 307 भा०दं०सं०
अ० सं०- 123 / 2018,
मु०नं०- 2081 / 2023
थाना- सोहरामऊ, जिला- उन्नाव।

सत्र सुपुर्दगी आदेश

अभियुक्त शकील उर्फ खान भाई के विरुद्ध थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा अपराध संख्या 123 / 2018, वाद सं०- 2081 / 2023, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० अपराध का आरोप पत्र न्यायालय के विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

अभियुक्त जमानत हैं। अभियुक्त जेरे जमानत न्यायालय हाजिर आया।

सुना व अभिलेखों का परिशीलन किया। अभियुक्त को धारा-207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी है।

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 भा०दं०सं० का आरोप पत्र प्रेषित है, जो अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय अपराध है अतः पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय उन्नाव के सत्र सुपुर्द की जाती है।

लोक अभियोजक सूचित हो। अन्दर 7 दिन कलेण्डर तैयार कर पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय उन्नाव को प्रेषित हो। अभियुक्तगण दि० 28.08.2023 सत्र न्यायाधीश उन्नाव के समक्ष उपस्थित हों।

दिनांक 18.08.2023

(रघुवंश मणि सिंह)
आई०डी० यू०पी० 1996
सिविल जज सी०डि० (एफ०टी०सी०)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।